



2026:AHC:31339

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 823 सन् 2026

मनीष कुमार, पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम पंचायत-जिग्ना याचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: शैलेश पांडे
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश पांडे के साथ-साथ श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री प्रदीप सिंह, ग्राम सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. इस न्यायालय ने 22.01.2026 को रिट याचिका पर विचार किया और प्रतिवादियों से निर्देश मांगे। जिला पंचायत राज अधिकारी, मिर्जापुर के हस्ताक्षर से दिनांक 10.02.2026 को निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वे कोई और हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर याचिका पर निर्णय लिया जाना चाहिए, इस प्रकार पक्षों की सहमति से, मामले को नए चरण में तय किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनका चयन 01.10.2021 को ग्राम पंचायत-जिग्ना ब्लॉक-जमालपुर, जिला मिर्जापुर में पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 25.07.2025 के शासकीय आदेश के अनुसार, समय-समय पर उनकी सेवाएं बढ़ाई गईं। हालांकि, ग्राम विकास अधिकारी (सचिव ग्राम पंचायत)-जिग्ना, ब्लॉक जमालपुर, मिर्जापुर (प्रतिवादी संख्या 6) के हस्ताक्षर से पारित दिनांक 25.10.2025 के आदेश द्वारा उनकी सगाई को समाप्त कर दिया गया है।
4. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह प्रकृति में कलंकित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन 25.07.2025 के शासकीय आदेश (और बाद में 25.10.2025 के शासकीय आदेश) में प्रावधान है कि यदि अनुबंधित कर्मचारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है, तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उत्तर पर विचार करने के बाद, एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाना चाहिए।
6. आगे यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया था, आक्षेपित आदेश उक्त उत्तर पर विचार या व्यवहार नहीं करता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मेहनती रहा है और उसने कोई कदाचार नहीं किया है।
7. इसके विपरीत, श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और श्री प्रदीप सिंह, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नोटिस जारी करने और जवाब प्रस्तुत करने के बाद प्रशासनिक समिति द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था और उसके बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।
8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता 01.10.2021 को पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुआ था। दिनांक 25.07.2025 के शासकीय आदेश के खंड 10 (vii) में प्रावधान है कि सगाई एक वर्ष के लिए संविदात्मक होगी, जो निर्धारित समिति द्वारा मूल्यांकन पर उसमें निर्धारित अधिकतम अवधि तक नवीनीकरण के अधीन है।

10. इसके अलावा, शासकीय आदेश 25.7.2025 के खंड 16 में कहा गया है कि संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति के खिलाफ कदाचार या किसी प्रतिकूल सामग्री के मामले में, एक नोटिस जारी करना आवश्यक है, और उत्तर पर विचार करने के बाद, ग्राम पंचायत को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करना है। शासकीय आदेश 25.7.2025 का खंड 16 इस प्रकार है:-

"16. पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही:-

पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को कार्य व अचरण संतोषजनक न होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को कारण बताओ सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरान्त ग्राम पंचायत कुल सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई बहुमत से उसके साथ की गयी संविदा को एक माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर एक माह का मानदंड देकर निरस्त कर सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा और इस प्रकार हटाये गये पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को पुनः इस रूप में कार्य करने नहीं दिया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्देशन में काम किया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायत से उसे सौंपे गए अन्य कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।"

11. दिनांक 10.02.2026 के निर्देशों से पता चलता है कि 18.06.2025 को ग्राम पंचायत की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जाए। एक नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद, 16.07.2025 को एक और नोटिस जारी किया गया और अंततः दिनांक 25.10.2025 का आक्षेपित आदेश पारित हुआ।

12. हालांकि, दिनांक 25.10.2025 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यह याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत उत्तर को रिकॉर्ड या विचार नहीं करता है। एक बार नोटिस जारी होने और उत्तर प्रस्तुत करने के बाद, यह प्राधिकरण पर निर्भर करता है कि वह प्रभावित पक्ष द्वारा किए गए बचाव पर विचार करे और कारण बताए कि स्पष्टीकरण स्वीकार्य क्यों नहीं है। एक गैर-बोलने वाला आदेश, जो उत्तर से संबंधित नहीं है, को बनाए नहीं रखा जा सकता है। चूंकि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर का समर्थन नहीं करता है और कारण नहीं बताता है, इसलिए यह दिमाग का उपयोग न करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से ग्रस्त है।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों में किया जाता है:

क. प्रतिवादी संख्या 6/ग्राम विकास अधिकारी (सचिवालय ग्राम पंचायत), जिगना, ब्लॉक जमालपुर, जिला मिर्जापुर द्वारा पारित दिनांक 25.10.2025 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। जन्म। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद, मामले को प्रतिवादी संख्या 6 को कानून के अनुसार सख्ती से एक नया सकेतपूर्ण और बोलने का आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। रिट याचिकाकर्ता की निरंतरता रिमांड के बाद पारित नए आदेश के अधीन होगी।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"